न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस
राजस्व वाद संख्या 1 / 28 / 2024

उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ सत्यमेव जयते जिला अलवर (राज0)

बउनवान

1. विशाल सिंह पुत्र ढालूराम
2. रामप्रकाश पुत्र ढालूराम
3. सांझाराम पुत्र ढालूराम
4. भागो बाई पुत्र ढालूराम
5. शीलादेवी पुत्र ढालूराम, जातियान ओड निवासीयान खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
6. बलवीर पुत्र सांईदास पोत्र ढालूराम जातियान ओड निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
7. अर्चना पुत्री सांईदास जाति ओड निवासी खेड़ामहमूद हालवासी बाढीबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
8. रजनी पत्नी प्रदीप पुत्री सांईदास जाति ओड निवासी हाल सिंगराकी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

-----वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

-----प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री अमृतलाल सैनी– अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार– प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 16.07.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1327 / 723 रकबा 0.0632 है0, 1329 / 833 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर) राज0

0252 है0, 1331/853 रकबा 0.0126 है0, 1333/914 रकबा 0.1011 है0, 837 रकबा 0.0758 है0 कुल किता 5 रकबा 0.2779 है0 वाके ग्राम खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जो हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है जो आराजी विवादित है। जिसे आगे चलकर दावा हाजा में आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ सत्यमेव जयते जिला अलवर (राज0)

यह है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय वादीगण के पिता व दादा ढालूराम को आराजी मुतनाजा सहित खसरा 723 रकबा 10 बिस्वा, 733 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 748 रकबा 9 बिस्वा, 774 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा , 791 रकबा 18 बिस्वा, 792 रकबा 17 बिस्वा, 805 रकबा 15 बिस्वा, 808 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 827 रकबा 18 बिस्वा, 833 रकबा 9 बिस्वा, 837 रकबा 6 बिस्वा, 853 रकबा 6 बिस्वा, 863 रकबा 4 बिस्वा, 901 रकबा 15 बिस्वा, 914 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 925 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 928 रकबा 18 बिस्वा, 721 रकबा 15 बिस्वा कुल खसरा 18 कुल रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ का आवंटन किया जाकर मौके पर कब्जा दिया गया तभी से लेकर आज तक उक्त आराजी पर पहले तो वादीगण के पिता व दादा ढालूराम व उसके मरने के बाद वादीगण बतौर वारिसान बहैसियत खातेदार के काबिज रहकर कास्त करते चले आ रहे है।

यह है कि उक्त सालिम आराजी की वादीगण द्वारा कर्जा कीमत जमा करवायी जा चुकी थी जिसमें खसरा नम्बर 723 मिन रकबा 5 बिस्वा, 733 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 748 रकबा 9 बिस्वा, 774 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 791 रकबा 18 बिस्वा, 792 रकबा 17 बिस्वा, 805 रकबा 15 बिस्वा, 808 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 827 रकबा 18 बिस्वा, 833 रकबा 7 बिस्वा, 853 मिन रकबा 5 बिस्वा , 863 रकबा 4 बिस्वा, 901 रकबा 15 बिस्वा, 914 मिन रकबा 19 बिस्वा, 925 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 928 रकबा 18 बिस्वा, 721 रकबा 15 बिस्वा कुल खसरा 17 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम खेड़ामहमूद का तो प्रतिवादी संख्या 2 ने खातेदारी पट्टा जारी कर दिया था जबकि आराजी मुतानाजा सहित कुल 16 बीघा 2 बिस्वा सालिम आराजी की वादीगण द्वारा कर्जा कीमत जमा करवायी जा चुकी थी। लेकिन खसरा नम्बर 837 रकबा 6 बिस्वा सालिम व खसरा नम्बर 723 रकबा 5

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

बिस्वा, खसरा नं. 833 में से 2 बिस्वा, 853 में से 1 बिस्वा व 914 रकबा में से 8 बिस्वा रकबा घटाते हुए 1 बीघा 2 बिस्वा के अलग हाल नये मिन खसरा नम्बर कायम करते हूये खसरा नम्बर 1327/723 रकबा 0.0632 है0, 1329/833 रकबा 0.0252 है0, 1331/853 रकबा 0.0126 है0, 1333/914 रकबा 0.1011 है0, 837 रकबा 0.0758 है0 वाके ग्राम खेड़ामहमूद गलत रूप से वादीगण की गैर खातेदारी में बेजा रूप से छोड दिये गये है, जबकि उक्त आराजी सभी खसरा नम्बरान आपस में मिले हुये है और सालिम नम्बरान पर मौके पर बदस्तुर कास्त होती चली आ रही है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ सत्यमेव जयते जिला अलवर (राज0)

अतः वादीगण द्वारा दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1327/723 रकबा 0.0632 है0, 1329/833 रकबा 0.0252 है0, 1331/853 रकबा 0.0126 है0, 1333/914 रकबा 0.1011 है0, 837 रकबा 0.0758 है0 कुल किता 5 रकबा 0.2779 है0 वाके ग्राम खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी मुतनाजा में वादीगण के शांत मय कब्जे काश्त में रूकावट व मजामत पैदा न करे और ना ही वादीगण को जबरन बेदखल करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया।

प्रतिवादी सं. 2 ने जवाब में कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1327/723 रकबा 0.0632 है0, 1329/833 रकबा 0.0252 है0, 1331/853 रकबा 0.0126 है0, 1333/914 रकबा 0.1011 है0, 837 रकबा 0.0758 है0 कुल किता 5 रकबा 0.2779 है0 वाके ग्राम खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर पर भागोबाइ पुत्री ढालूराम, विशाल सिंह पुत्र ढालूराम, रामप्रकाश पुत्र ढालूराम, साझांराम पुत्र ढालूराम, शीलादेवी पुत्री ढालूराम, बलवीर पुत्र सांईदास पौत्र ढालूराम, अर्चना पुत्र सांईदास, रजनी पत्नि प्रदीप पुत्री सांईदास का गत 20 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में भूमि पड़त(खाली) है। मुताबिक जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2072--75 के खसरा नम्बर 1327/723 रकबा 0.0632 है0 किस्म चाही 1, 1329/833 रकबा 0.0252 है0 किस्म चाही अलिफ,

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

1331/853 रकबा 0.0126 है0 किस्म चाही अलिफ, 1333/914 रकबा 0.1011 है0 किस्म बारानी 1, 837 रकबा 0.0758 है0 किस्म चाही अलिफ भागोबाई पुत्री ढालूराम हि0 1/6, रामप्रकाश पुत्र ढालूराम हि0 1/6, विशाल सिंह पुत्र ढालूराम हि0 1/6, शीलादेवी पुत्री ढालूराम हि0 1/6, साझांराम पुत्र ढालूराम हि0 1/6, जाति ओड साकिन देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ सत्यमेव जयते जिला अलवर (राज०)

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये–

<u>तनकी नं. 1</u> :– आया वादीगण आ.ख.नं. हाल 1327/723 रकबा 0.0632 है0, 1329/833 रकबा 0.0252 है0, 1331/853 रकबा 0.0126 है0, 1333/914 रकबा 0.1011 है0, 837 रकबा 0.0758 है0 वाके ग्राम खेड़ामहमूद तह0 गोविन्दगढ़ की गैर खातेदारी आराजी को इस न्यायालय से खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है ?

––––– जिम्मे वादी

<u>तनकी नं. 2</u> :– आया वादीगण आ.ख.नं. हाल 1327/723 रकबा 0.0632 है0, 1329/833 रकबा 0.0252 है0, 1331/853 रकबा 0.0126 है0, 1333/914 रकबा 0.1011 है0, 837 रकबा 0.0758 है0 वाके ग्राम खेड़ामहमूद तह0 गोविन्दगढ की गैर खातेदारी आराजी को खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी नही है ?

–––– जिम्मे प्रतिवादी

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी बलवीर पुत्र सांईदास पौत्र ढालूराम **पी डब्ल्यू–1**, गवाह तेजसिंह पुत्र नन्दूराम जाति ओड **पी डब्ल्यू–2** व गवाह कश्मीर पुत्र रूपचंद जाति ओड **पी डब्लयू–3** के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है जो शामिल पत्रावली है। तथा वादीगण ने अपने दावे की ताहिद में नकल जमाबंदी हाल संवत 2072–75 **प्रदर्श–1**, नकल जमाबंदी हाल खाता सं. 277 संवत 2075 **प्रदर्श–2**, नकल जमाबंदी संवत् 2030 **प्रदर्श–3**, नकल जमाबंदी संवत् 2028 **प्रदर्श–4**, नकल जमाबंदी संवत् 2064–67 **प्रदर्श–5**, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 **प्रदर्श–6**, नकल जमाबंदी संवत् 2013 **प्रदर्श–7**, जमाबंदी संवत् 2013 **प्रदर्श–8**, जमाबंदी संवत् 2013 **प्रदर्श–9**, जमाबंदी संवत् 2013 **प्रदर्श–10**, जमाबंदी संवत् 2013 **प्रदर्श–11**, नक्शा चाहत मौजा खेड़ामहमूद **प्रदर्श–12**, नक्शा चाहत मौजा खेड़ामहमूद **प्रदर्श–13**, खसरा गिरदावरी संवत्

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

2022 **प्रदर्श–14**, खसरा गिरदावरी संवत् 2022 **प्रदर्श–15**, खसरा गिरदावरी संवत् 2022 **प्रदर्श–16**, एडवोकेट नोटिस **प्रदर्श–17**, एवं नकल जमाबंदी संवत 2060–63, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028, नकल पटटा दिनांक 03.11.2010, नकल रसीद दिनांक 17.03.1981 की फोटोप्रति पेश की है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों का दोहराया गया। साथ ही कथन किया कि राज0 सरकार राजस्व (ग्रुप–10/पुर्नवास) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार ऐसी सम्पत्तियों पर सन् 2012 से काबिज वैध आंवटियों से भिन्न व्यक्ति जो राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2012 से 2019 तक पट्टेदार , गैर मोरूसी, मौरूसी, रहन मुतर्हन के नाम से दर्ज थे तथा भू–प्रबंध के दौरान गैर खातेदार अंकित कर दिये गये तथा आज तक राजस्व रिकॉर्ड. में तदानुसार दर्ज है। उन्हे निम्न प्रकार प्रक्रिया अपनाकर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जावे– संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पर राजस्व रिकॉर्ड की भली–भॉति जॉच कर नवीनतम रिकॉर्ड एवं मौका स्थिती की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर प्रकरणों में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में विहित प्रक्रिया अनुसार खातेदारी देने की कार्यवाही करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्होनें इस परिपत्र में उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदारों से बिना किसी विक्रय पत्र या इकरारनामा के भूमि क्रय कर ली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हों उन्हे सक्षम न्यायालय से स्वामित्व/कब्जे के बारे में निर्णय करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात नियमतीकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेंगे।

प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब दावें के तथ्यों का दोहराया। हमने बहस का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2072–75 वाके ग्राम खेड़ा महमूद तहसील गोविन्दगढ़ अनुसार आराजी खसरा नंबर 1327/723 रकबा 0.0632 है0, 1329/833 रकबा 0.0252 है0, 1331/853 रकबा 0.0126 है0, 1333/914 रकबा 0.1011 है0, 837 रकबा 0. 0758 है0 भागोबाई पुत्री ढालूराम हि0 1/6, रामप्रकाश पुत्र ढालूराम हि0 1/6, विशाल सिंह पुत्र ढालूराम हि0 1/6, शीलादेवी पुत्री ढालूराम हि0 1/6, सांईदास

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

पुत्र ढालूराम हि0 1/6, साझांराम पुत्र ढालूराम हि0 1/6, जाति ओड साकिन देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–8, प्रदर्श–9, प्रदर्श–10, प्रदर्श–11 (जमाबंदी संवत 2013) वाके ग्राम खेड़ा महमूद तहसील ता0 लक्ष्मणगढ़ हाल गोविन्दगढ़ अनुसार खसरा नं. 409 ढोलनराम सा0देह गै0 मो.सा., 464 मिन ढोलनराम राजपूत सा.देह गैर मो. साल 1, 513 मिन तोलाराम सा. देह गैर मो., 460 मिन ढोलनराम सा.देह गैर मो. सा. 6 दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 अनुसार खसरा नंबर 723, 833, 853, 837, 914, क्रमशः खसरा नं. 409 मिन, 460 मिन, 464 मिन, 513 मिन से बने है। प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2028 अनुसार वाके ग्राम खेड़ा महमूद तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल गोविन्दगढ़ जिला अलवर के खसरा नं. 723, 833, 837, 853 ढालूराम पुत्र नियामतराम कोम राजपूत सा. देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत् 2064–67 अनुसार वाके ग्राम खेड़ा महमूद तहसील हाल गोविन्दगढ़ ता0 लक्ष्मणगढ़ के आराजी खसरा नं. 723, 833, 853, 914, 837, ढालूराम पुत्र नियामतराम कौम ओड सा. देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर के जवाब अनुसार ग्राम खेड़ामहमूद तह0 गोविन्दगढ़ के आराजी खसरा नं. 1327/723 रकबा 0.0632 है0, 1329/833 रकबा 0.0252 है0, 1331/853 रकबा 0.0126 है0, 1333/914 रकबा 0.1011 है0, 837 रकबा 0.0758 है0 पर वादीगण का 20 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वाद वादीगण स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नम्बर हाल 1327/723 रकबा 0.0632 है0, 1329/833 रकबा 0.0252 है0, 1331/853 रकबा 0.0126 है0, 1333/914 रकबा 0.1011 है0, 837 रकबा 0.0758 है0 कुल किता 5 रकबा 0.2779 है0 वाके ग्राम खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर का वादीगण 1 लगायत 5 को प्रत्येक को 1/6 भाग एवं वादीगण 6 लगायत 8 को 1/6 भाग में समभाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण से उक्त आराजी की राज्य सरकार के परिपत्रों/आदेशों के अनुसार निमयतीकरण शुल्क एवं शास्ति जमा राजकोष उपरान्त तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

गोविन्दगढ को आदेश है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। उक्त आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज.

उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़
सत्यमेव जयते
जिला अलवर (राज०)

आज दिनांक 16.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/28/2024

बउनवान

1. विशाल सिंह पुत्र ढालूराम
2. रामप्रकाश पुत्र ढालूराम
3. सांझाराम पुत्र ढालूराम
4. भागो बाई पुत्र ढालूराम
5. शीलादेवी पुत्र ढालूराम, जातियान ओड निवासीयान खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
6. बलवीर पुत्र सांईदास पोत्र ढालूराम जातियान ओड निवासी खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
7. अर्चना पुत्री सांईदास जाति ओड निवासी खेड़ामहमूद हालवासी बाढीबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
8. रजनी पत्नी प्रदीप पुत्री सांईदास जाति ओड निवासी हाल सिंगराकी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

------डिक्रीदारान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

-----मदयूनान

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

आदेश

अतः वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नम्बर हाल 1327/723 रकबा 0.0632 है0, 1329/833 रकबा 0.0252 है0, 1331/853 रकबा 0.0126 है0, 1333/914 रकबा 0.1011 है0, 837 रकबा 0.0758 है0 कुल किता 5 रकबा 0.2779 है0 वाके ग्राम खेड़ामहमूद तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर का वादीगण 1 लगायत 5 को प्रत्येक को 1/6 भाग एवं वादीगण 6 लगायत 8 को 1/6 भाग में समभाग का खातेदार काश्तकार घोषित

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

किया जाता है। वादीगण से उक्त आराजी की राज्य सरकार के परिपत्रों/आदेशों के अनुसार नियमतीकरण शुल्क एवं शास्ति जमा राजकोष उपरान्त तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.07.2025 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०